

कार्यालय— सिविल सर्जन सदर अस्पताल, साहेबगंज

अति अल्पकालीन निविदा सूचना— 01/2016—17

स्वास्थ्य विभाग, साहेबगंज के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों हेतु दवा एवं रसायन एवं इत्यादि के क्रय के लिये दवा, रसायन के निर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं से निम्नलिखित शर्तों के अधीन मुहरंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा सिविल सर्जन कार्यालय में रखे निविदा पेटी में दिनांक 13.02.2017 के 3:00 बजे अपराह्न तक निविदा डाले जा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदा दिनांक 13.02.2017 के 04:00 बजे अपराह्न में सिविल सर्जन साहेबगंज के कार्यालय कक्ष में क्रयसमिति के समक्ष निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जायेगा। निविदा दो भागों (A—तकनीकी एवं B—वित्तीय वीड) अलग अलग शील बंद लिफाफा में देना अनिवार्य होगा। तकनीकी वीड की सर्तें पूरा होने पर ही वित्तीय वीड खोला जायेगा। निविदा हेतु दवा एवं, रसायन इत्यादि की सूची अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय के सूचनापट्ट से प्राप्त किया जा सकता है। अथवा वेबसाईट www.sahibganj.nic.in के notice/Tender Section में देखा जा सकता है।

तकनीकी (A):—

1. निविदा से संबंधित अभिलेख का विवरणी पेज नं० अंकित कर सूची संलग्न करना होगा।
2. निविदा के साथ अद्यतन आयकर स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं वाणिज्यकर का स्वच्छता प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा के साथ अद्यतन बिक्रीकर निबंधन—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 50000/- (पचास हजार) रु० का बैंक ड्राफ्ट जो सिविल सर्जन साहेबगंज के पदनाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता का वार्षिक Turn-over 35,00,000.00 (पैंतीस लाख) रु० से कम नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित अद्यतन प्रमाण—पत्र (Audited Balance Sheet) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निर्माता कंपनी का Up to Date WHO-GMP (Good Manufacturing Practice) Certificate प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. निर्माता कंपनी का Up to Date Non-conviction Certificate (Issued by the Concerned Licensing Authority) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. निर्माता कंपनी का Drug Manufacturing Licence प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. निर्माता कंपनी का स्वयं तथा प्राधिकृत विक्रेताओं को शपथ—पत्र मूल प्रति संलग्न करना होगा कि स्वयं एवं उनकी कंपनी रूग्णावस्था अथवा काली सूची में दर्ज नहीं हैं, एवं हर प्रकार के आरोपों तथा सभी सरकारी जाँच से मुक्त हैं, उनके उपर किसी प्रकार का इससे संबंधित मुकदमा लंबित नहीं है।
10. निविदादाता का वित्तीय वर्ष 2013—14, 2014—15, 2015—16 तक का बैलेन्स सीट (चाटर्ड एकाउंटेंट द्वारा निर्गत) प्रस्तुत करना होगा।
11. निविदादाता के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013—14, 2014—15, 2015—16 तक का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. निविदादाता स्वयं कंपनी अथवा उनके अधिकृत विक्रेता हो सकते हैं परन्तु अधिकृत संबंधी प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. निविदादाता का झारखण्ड राज्य में उनका प्रतिष्ठान है, एतत् संबंधी प्रमाण स्वरूप ड्रग लाईसेंस की Upto Date Copy संलग्न करना अनिवार्य होगा।

वित्तीय वीड (B)

1. दवा एवं रसायन का अंकित मूल्य सभी कर (VAT) सहित कम्प्यूटर द्वारा टंकित होना अनिवार्य है।

Condition:- निविदा स्विकृत होने पर निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा :-

1. आदेश निर्गत की तिथि से 10 दिनों के अन्दर दवा एवं रसायन की आपूर्ति साहेबगंज जिलान्तर्गत विभिन्न स्वा० संस्थानों के भंडारगृह तक करना होगा इसके लिए अलग से कोई मार्गव्यय देय नहीं होगा।
2. निविदा में अंकित दवा एवं रसायन के सामने निर्माता कंपनी का नाम आवश्यक अंकित होना चाहिए।
3. दवा आपूर्ति करते समय विपत्र के साथ उक्त दवा का Analytical भी जमा करना होगा, अन्यथा भुगतान नहीं की जायेगी।
4. आपूर्ति की जाने वाली दवा, एवं रसायन की आपूर्ति तिथि एवं अवसान तिथि (Expiry Date) का 18 माह से कम नहीं होना चाहिए।
5. आपूर्ति की गई दवा/रसायन इत्यादी के भाइल, एम्पल, पैकेट पर Govt Supply Not For Sale लिखा रहना चाहिए।
6. अनुमोदित दर पर एक वर्ष तक दवा एवं रसायन आपूर्ति संबंधी शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी।
7. वैधानिक मामलो का निष्पादन हेतु न्यायिक क्षेत्र साहेबगंज न्यायालय होगा।

नोट:- बिना कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार अद्यो० के पास सुरक्षित रहेगा।

सिविल सर्जन
सदर अस्पताल साहेबगंज।

ज्ञापांक...../दिनांक...../

प्रतिलिपि :- असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त महोदय, साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय उपनिदेशक स्प० सेवाएँ स० प० प्रमंडल दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अभियान निदेशक रा० ग्रा० स्वा० मिशन, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी, साहेबगंज।

सिविल सर्जन
सदर अस्पताल साहेबगंज।